डीजी परिपत्र संख्या- 31 / 2025

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक : अगस्त 13, 2025

विषयः विवेचना के उपरान्त विवेचनाधिकारियों द्वारा आरोप पत्र / अंतिम रिपोर्ट मा० न्यायालय में भेजने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

डीजी परिपत्र संख्या-06/2021 दिनांक 19.02.2021
डीजी परिपत्र संख्या-59/2016 दिनांक 20.10.2016
डीजी परिपत्रसंख्या-22/2024 दिनांक 11.05.2024

अवगत कराना है कि समय समय पर मुख्यालय स्तर से आपराधिक मामलों की समयबद्ध व साक्ष्यपरक विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किए गए हैं किन्तु इनका पूर्णत: अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिससे मा० न्यायालय के समक्ष राज्य का पक्ष रखने में असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।

2. क्रिमिनल मिस बेल अप्लीकेशन सं०- 24060/2024 महेश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2024 के अनुपालन में अपर अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के साथ गृह विभाग, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की उपस्थिति में दिनांक 20.10.2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त मे दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुये मासिक सूचना 11 प्रारुपों में आपके स्तर से गूगल शीट में भरकर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाता है। माह जून 2025 की मासिक सूचना का इस मुख्यालय से परिशीलन किया गया तो परिशीलनोपरांत पाया गया कि प्रदेश स्तर पर मा० न्यायालय में आरोप पत्र तथा अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने हेतु काफी संख्या में लम्बित हैं। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है।

3. बीएनएसएस की धारा 193(1) व 193(2) में विवेचना शीघ्रता से पूर्ण करने के सम्बन्ध में निम्नवत प्रावधान अंकित हैं –

193 (1) Every investigation under this Chapter shall be completed without unnecessary delay.

(2) The investigation in relation to an offence under sections 64, 66, 67, 68, 70, 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or under sections 4, 6, 8 or section 10 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 shall be completed within two months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station.

बीएनएसएस में दी गई उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार अभियोग की विवेचना शीघ्रता से पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाना आज्ञापक है।

4. गम्भीर अपराधों में ससमय विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा पीड़ित को न्याय प्रदान कराना विवेचना का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिये अनेक अधिनियमों / नियमों में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र/ अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित की गई है जो निम्नवत है -

क्र0 सं0	अधिनियम / नियम	सुसंगत धारा / नियम	आरोप पत्र दाखिल किये जाने की समय सीमा
1	बीएनएसएस, 2023	<u>बीएनएसएस की धारा 187(3)</u> के अनुसार दस वर्ष या दस वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों में 90 दिवस के अन्दर तथा दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय अपराधों में 60 दिवस के अन्दर आरोप पत्र न दाखिल किए जाने पर अभियुक्तों को अनिवार्य रुप से जमानत प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। <u>धारा 193(1)</u> इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलम्ब के बिना पूरा किया जाएगा। <u>धारा 193(2)</u> के अनुसार बीएनएस की धारा 64,65(2),66,67, 68,70(1),70(2),71 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6,8,10 के अधीन अपराधों के मामलों में थानों के भार साधक अधिकारी द्वारा अभिलिंखित सूचना के दिनांक से दो माह के अन्दर अन्वेषण पूरा किया जा सकेगा।	60 दिवस/ 90 दिवस
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1995 (संशोधन 2016)	<u>नियम-7(2) उपनियम (1)</u> के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरन्त राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और सम्बद्ध पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा। (2क) उपनियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में विलम्ब यदि की हो, अन्वेषण अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जाएगा।	60 दिवस

3	उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, 1861	प्रस्तर-122(1) ...मामले में अन्तिम डायरी के साथ आरोप पत्र क्षेत्राधिकारी और लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय में पेश किया जायेगा और समन तथा वारण्ट मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को दाखिल करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर और सत्र मामलों में 08 सप्ताह के भीतर न्यायालय में पहुँचना चाहिये। क्षेत्राधिकारी और लोक अभियोजक में से किसी को सामान्यतया आरोप पत्र को एक सप्ताह से अधिक के लिए प्रतिधारित नहीं करना चाहिये और लोक अभियोजक को विहित समय सीमा के भीतर सम्बन्धित न्यायालय को इसे पेश करना चाहिए। विहित समय सीमा में विशेष कारणों के सिवाय वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।	समन और वारन्ट मामलों में 04 सप्ताह सत्र मामलों में 08 सप्ताह

5. गम्भीर अपराधों की ससमय विवेचना पूर्ण कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा पीड़ित को न्याय दिलाना विवेचना का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए अनेक अधिनियमों / नियमों में विवेचना पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गयी है। समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब को रोकने, समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समयावधि में गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण कर मा० न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किये जाने हेतु अनुपालनार्थ बिन्दु निम्नवत हैं:-

- विवेचनाधिकारी अपराधों की विवेचना तत्परता से करते हुए आरोप पत्र किता करना सुनिश्चित करेंगे। जिन मामलों में विवेचना पूर्ण करने की समय सीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गयी हो ऐसे प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय दाखिल कराना सुनिश्चित करेंगें।
- पर्यवेक्षण अधिकारी अपने अधीनस्थ विवेचकों द्वारा की जा रही विवेचनाओं का निकटता से अनुश्रवण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र/ अंतिम रिपोर्ट अनावश्यक रुप से लम्बित न रहे।
- अभियोगों की समयबद्ध विवेचना करते हुए आरोप पत्र नियत समय सीमा के अंदर न्यायालय प्रेषित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा आरोप पत्र तैयार हो जाने के उपरान्त पर्यवेक्षण अधिकारी स्तर पर मात्र अग्रसारण हेतु लम्बित रखना तथा आरोप पत्र में मा० न्यायालय प्रेषित करते समय हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित न करना किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है।
- CCTNS में केस डायरी को ऑनलाइन भरे जाने एवं आरोप पत्र को ऑनलाइन फाइल किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान केस डायरी का अंकन अनिवार्य रूप से CCTNS के माध्यम से आनलाइन किया जाय तथा विवेचनोपरान्त बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के CCTNS के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित किया जाय।

- कतिपय विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्यों उदाहरणार्थ एफ0एस0एल0 की परीक्षण रिपोर्ट अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित रहती है। ऐसे प्रकरणों में जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/ परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक स्वयं एफ0एस0एल0 एवं अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञ इकाई से समन्वय स्थापित कर रिपोर्ट इत्यादि तत्परता से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराएंगें।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक अपने जनपद में एक विशेष अभियान चलाकर लम्बित आरोप पत्र/ अंतिम रिपोर्ट को मा0 न्यायालय में दाखिल कराना सुनिश्चित करायेंगे। मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कराने में यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई आती है तो मुख्यालय को द्वारा उचित माध्यम अवगत करायेंगे।
- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने अधीनस्थ जनपदों में मा0 न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु लम्बित आरोप पत्र/ अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे तथा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

6. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर उपरोक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए इसकी प्रति उपलब्ध करा दें तथा इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

13/5

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त , उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / प्रभारी जनपद / रेलवे उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक , उत्तर प्रदेश।